

॥ अधिसूचना ॥

संचिका संख्या-06/EH & S-02-03/2026.....7474/जे0, पटना, दिनांक-10.09.26

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों की कोटि में शासकीय अधिवक्ता (GA) के पद पर निम्नांकित अधिवक्ताओं को वचनबद्ध किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	मोबाईल नम्बर
1.	Sri Awadesh Kumar Singh	210/1998	8294880039
2.	Sri Amarendra Nath Verma	7497/1996	9835071050
3.	Sri Subhash Prasad Singh	1092/1981	9835647773
4.	Sri Rakesh Kumar	7177/1996	9934652313
5.	Sri Prakash Chandra Agrawal	2445/2002	9835021035
6.	Sri Abhinav Mishra	D/1067/2016	9650110548
7.	Sri Alok Kumar @ Alok Kumar Sahi	2990/1999	9334271670
8.	Sri Manoj Kumar Singh	5540/1999	8709553159
9.	Smt. Archana	1380/2006	9471860424
10.	Sri Rajeev Kumar Singh	1942/1999	9431022601
11.	Sri Radhika Raman	5705/1999	7903172831
12.	Sri Kautilya Kumar Prasad	BR/254/2016	9430612584
13.	Smt. Usha Kumari	878/1998	9431444790
14.	Smt. Alka Verma	1133/2005	9431078283
15.	Sri Ram Niwas Prasad	665/1995	9431436074
16.	Sri Amit Kishore Sinha	850/2010	9711110087
17.	Sri Dhananjay Kumar	2217/1998	9835276834
18.	Sri Braj Kishore Prasad Sinha	225/1978	8987185291
19.	Smt. Rashmi Jha	2927/2010	9045059495
20.	Md. Zeyaul Hoda	3539/1997	9431491869
21.	Sri Rajendra Prasad Sah	494/1992	9431445406
22.	Smt. Kalpana	489/2006	9431460444
23.	Sri Ram Sumiran Rai	385/1995	9570177023

2. उक्त वचनबद्ध सभी शासकीय महाधिवक्ता (GA) को उनके नाम के पहले अंकित क्रम संख्या से ही जाना जायेगा। अर्थात् क्रम संख्या-01 में उल्लेखित नाम को शासकीय संख्या-01 (GA-01) कहा जायेगा। यह क्रम परस्पर वरीयता का निर्धारण नहीं माना जायेगा।
3. उक्त सभी विधि पदाधिकारी वचनबद्धता के उपरान्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सरकार के अगले आदेश तक पद को धारित करेंगे एवं देय शुल्क का भुगतान प्रभार ग्रहण की तिथि (पूर्वाहन/अपराहन को दृष्टिपथ में रखकर) से किया जायेगा।
4. उक्त सभी विधि पदाधिकारी को विधि विभागीय पत्रांक-1547/जे0, दिनांक-24.02.2023 एवं विधि विभागीय पत्रांक-118/जे0, दिनांक-08.01.2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) अथवा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा जो विनिश्चित की जायेगी, के अनुसार शुल्क भुगतान किया जायेगा। शुल्क की देयता के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, भुगतान की प्रक्रिया में प्रभावी होगा।
5. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर नियुक्त/वचनबद्ध हो एवं राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से Fixed मासिक शुल्क प्राप्त कर रहे हो या जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी न्यायाधिकरण में प्रभारी सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हो तो उन्हें पद से एक (01) माह के अन्दर त्याग-पत्र देना अनिवार्य होगा। अन्यथा इस संबंध में संज्ञान होने पर महाधिवक्ता की अनुशंसा पर उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
6. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी उक्त नियमावली के नियम-7 में निरर्हताएँ के संबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन किसी भी समय निरर्हक पाये जाते हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी वचनबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
7. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता द्वारा जारी आदेश/निर्देश/अनुदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में समीक्षोपरांत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहाँ सरकार का कोई हित निहित है, के मामले में सरकार के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, यह मामला उनकी वचनबद्धता की तिथि के पूर्व का ही क्या न हो। ऐसे मामले दृष्टान्त में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।
9. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उक्त नियमावली के नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन करेंगे। नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों के पालन में असफलता की स्थिति में विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विधि पदाधिकारी के कार्य से किसी भी समय मुक्त कर दिया जायेगा।
10. उक्त नियमावली के नियम-11 के आलोक में उक्त सभी वचनबद्ध विधि पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा विधि विभाग को भेजी जायेगी तथा समीक्षोपरांत विधि पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें विधि पदाधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया जायेगा।

11. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यों की विवरणी, जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस एवं विशेष रूप से सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए विद्वान महाधिवक्ता को प्रत्येक माह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे कि कितने मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ और कितने में नहीं हुआ।
12. विधि पदाधिकारियों को अपने आवंटित मामलों में सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय से विधि पदाधिकारी की अनुपस्थिति के शिकायत पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
13. सभी विधि पदाधिकारी, सरकार के विरुद्ध आदेश पारित होने पर महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ प्रतिवेदित करेंगे कि इस मामले में अपील/पुनर्विचार दायर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के अंदर) अपने परामर्श के साथ संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।
14. उक्त वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों में प्रत्येक को 05 सहायक अधिवक्ता अनुमान्य होंगे। उक्त नियमावली के नियम-9 के आलोक में सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता महाधिवक्ता की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। सहायक अधिवक्ता की अनुमान्यता एवं इस संबंध में महाधिवक्ता की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किये जानेवाले विनिश्चय अथवा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत आदेश लागू होगा।
15. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वचनबद्धता के दो माह के अंदर सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुशंसा के संबंध में कार्रवाई कर ली जाय। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को वचनबद्ध किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अंदर विधि विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा उसके एक महीने के अंदर दूसरे सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुरोध किया जायेगा।
16. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 में उल्लेखित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।
17. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में शासकीय अधिवक्ता (GA) के पद पर नियुक्ति/वचनबद्धता हेतु निर्गत पूर्व के सभी आदेशों को अवक्रमित किया जाता है।
18. यह आदेश, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

B. Ram Das

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7474/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा 100 (सौ) गजट की प्रतियाँ इस विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित।

B. Ram Das
10-09-26

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

क0प0उ0

ज्ञाप संख्या:- 7474/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

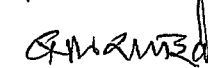

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7474/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना एवं माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7474/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बलराम दूबे)

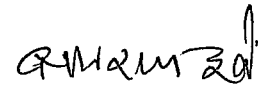
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7474/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसे महाधिवक्ता कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

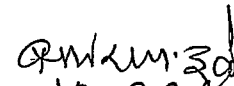

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7474/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


10-09-26
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।